

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 12 फरवरी 2024—माघ 23, शक 1945

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 फरवरी 2024

क्र. एफ-1-05-2020-एक (1).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) एवं (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियम में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 2 में,—

- (1) विद्यमान अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों "पचपन— चिकित्सा शिक्षा" का लोप किया जाए.
- (2) विद्यमान अनुक्रमांक "सत्रह—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण" तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात:—

"सत्रह— लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा"

2. अनुसूची में,—

- (1) विद्यमान शीर्षक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों "पचपन—चिकित्सा शिक्षा विभाग" का लोप किया जाए.
- (2) विद्यमान शीर्षक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों "सत्रह—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग" के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात:—

"सत्रह—लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग"

(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय—

1. चिकित्सालय और औषधालय जिनके अंतर्गत महामारी औषधालय और चलते-फिरते औषधालय आते हैं.

2. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं.
3. जिला अस्पतालों सहित सभी सिविल अस्पताल.
4. लोक स्वास्थ्य प्रशासन जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं—
 - (क) स्वच्छता संबंधी विधियाँ एवं विनियम.
 - (ख) स्वास्थ्य कर्मचारियों तथा कल्याणकारी कार्यकर्ताओं की नियुक्तियाँ, अर्हताएँ तथा कर्तव्य,
 - (ग) लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएँ.
 - (घ) वैक्सीन— संस्था.
5. खाद्यान तथा औषधियों में मिलावट (औषधियों में मिलावट एवं औषधी मानक के विषय, जहां तक उनका संबंध आयुर्वेद, सिद्ध यूनानी और औषधियों से है, को छोड़कर).
6. संक्रामक तथा सांसर्गिक रोग तथा परजीवी पशुओं से होने वाले रोग.
7. महामारियों की रोकथाम.
8. राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम.
9. परिवार कल्याण कार्यक्रम, प्रजनन मातृ शिशु तथा किशोर स्वास्थ्य,
10. राष्ट्रीय वाहक जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम.
11. राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम.
12. राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम.
13. राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम.
14. औषध निर्माण व्यवसाय तथा औषध निर्माण शिक्षा.
15. औषधि मानक.
16. राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम.
17. सेक्सुअली ट्रान्समिटेड रोगों की रोकथाम.
18. दस्त रोग नियंत्रण कार्यक्रम.
19. राष्ट्रीय आयोडिन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम.
20. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत समस्त राष्ट्रीय कार्यक्रम.
21. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम.
22. आयुष्मान भारत निरामयम् योजना.
23. प्रसाविकी (मिडवाइफरी) सेवाएँ.
24. मधुमेह, हृदयरोग एवं स्ट्रोक की रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम.
25. सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद के विज्ञापन का प्रतिषेध और उसके व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन.
26. चिकित्सा व्यवसाय तथा चिकित्सा शिक्षा.
27. परिचर्या व्यवसाय तथा परिचर्या शिक्षा तथा परिचर्या प्रशिक्षण.
28. दंत व्यवसाय तथा दंत चिकित्सा शिक्षा.
29. शासकीय कर्मचारियों/आश्रितों को राज्य के अंदर तथा राज्य के बाहर चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा उपचार से संबंधित विषय.
30. गंभीर मनोविकार रोगियों के रखने (पुनर्वास केन्द्र) एवं उनके उपचार प्रबंधन केन्द्र भी हैं.

31. ऐसी सेवाओं से सम्बद्ध सभी विषय जिनका विभाग से संबंध हो (वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग को आवंटित किए गए विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ— नियुक्तियां, पदस्थापनाएं, स्थानांतरण, वेतन, छुट्टी, निवृत्ति, वेतन पदोन्नतियां, भविष्य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दण्ड तथा अभ्यावेदन.
32. (एक) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 19 के अधीन अभियोजन की मंजूरी.
(दो) दण्ड प्रक्रिया की संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 197 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अंतर्गत लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन तथा मंजूरी.

(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम—

1. मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा संस्था नियंत्रण अधिनियम, 1973 (1973 का 19).
2. मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालय शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम, 2018.
3. मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सीय सेवा आदर्श नियम, 2018.
4. मध्यप्रदेश सुपरस्पेशलिटी अस्पताल चिकित्सा शिक्षक आदर्श नियम, 2018.
5. मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय गैर शैक्षणिक आदर्श नियम, 2018.
6. मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2023 तथा अराजपत्रित सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2023.
7. मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम, 2018.
8. फार्मसी अधिनियम, 1948 (1948 का 8).
9. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34)
10. औषधि तथा प्रसाधन अधिनियम, 1940 (1940 का 23)
11. सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (2003 का 34).
12. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1958.
13. मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1987 (क्रमांक 11 सन् 1990)
14. मध्यप्रदेश उपचर्या तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनायें (रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन) नियम, 1997.
15. विष अधिनियम, 1919 (1919 का 12).
16. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2022. अराजपत्रित सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 1989.
17. गर्भ धारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994.
18. गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 (1971 का 34)
19. महामारी अधिनियम, 1897(1897 का 3).
20. मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017.
21. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2).
22. मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ अधिनियम, 1949 (क्रमांक 36 सन् 1949).
23. लैंगिक अपराधी से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का 32).
24. सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 एवं सहायता प्राप्त प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021.
25. राष्ट्रीय संबद्ध स्वास्थ्य पेशा आयोग अधिनियम, 2021.

(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय—

1. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संचालनालय.
2. चिकित्सा शिक्षा संचालनालय.
3. नियंत्रक, खाद्य तथा औषधि प्रशासन.
4. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन.
5. राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण.
6. मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय.
7. समस्त शासकीय / स्वशासीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं सम्बद्ध अस्पताल.
8. स्वशासी दंत चिकित्सा महाविद्यालय.
9. मानसिक अरोग्य संस्थान.
10. नर्सिंग महाविद्यालय.
11. चिकित्सा शिक्षा के अधीन आने वाले समस्त सह-चिकित्सीय, महाविद्यालय.
12. क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान.

(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मण्डल तथा निगम—

1. मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड.

(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली संस्थाएं तथा निकाय/समिति—

1. फार्मसी परिषद.
2. मध्यप्रदेश राज्य दंत परिषद.
3. मध्यप्रदेश राज्य एड्स कंट्रोल सोसायटी.
4. मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद.
5. स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर.
6. मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल, भोपाल.
7. मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद
8. राज्य रक्ताधान परिषद
9. राज्य स्वास्थ्य सूचना शिक्षा संचार ब्यूरो
10. मध्यप्रदेश ऊतक एवं मानव अंग प्रत्यारोपण समिति.
11. दीन दयाल स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद.
12. राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण.

13. गर्भधारण एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन तकनीक के लिए राज्य सुपरवाइजरी बोर्ड, (पी.सी.पी.एन.डी.टी.).

14. राज्य सुपरवाइजरी बोर्ड ए.आर.टी. एवं सरोगेसी.

(ऊ) विभाग के अधीन आने वाले सेवाओं के नाम यदि कोई हो, और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हो –

1. मध्यप्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा.
2. मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय तथा अलिपिक वर्गीय स्वास्थ्य सेवाएं.
3. मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा सेवा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रंजना पाटने, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 12 फरवरी 2024

क्र. एफ-1-05-2020-एक (1).-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-05-2020-एक (1), दिनांक 12 फरवरी 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रंजना पाटने, उपसचिव.

Bhopal, the 12th February 2024

No. F 1-05/2020/One(1) - In exercise of the powers conferred by clauses (2) and (3) of Article 166 of the constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to make the following further amendments in the Madhya Pradesh Government Business (Allocation) Rules, namely:-

AMENDMENTS

In the said rules,-

1. In rule 2,-

(1) The existing serial number and entries relating thereto "LV- Medical Education" shall be omitted.

(2) For the existing serial number and entries relating thereto "XVII- Public Health and Family Welfare", the following serial number and entry relating thereto shall be substituted, namely,:-

"XVII- Public Health and Medical Education"

2. In the Schedule,-

(1) The existing heading and entries relating thereto "LV- Medical Education Department" shall be omitted.

(2) For the existing heading and entries relating thereto "XVII- Public Health and Family Welfare Department", the following heading and entries relating thereto shall be substituted, namely,-

"XVII- Public Health and Medical Education Department"

(A) Matters of Policy dealt within the Department :-

1. Hospital and dispensaries including Epidemic and Mobile dispensaries.
2. Rural Health Services.
3. District Hospitals including all Civil Hospitals.
4. Public Health Administration including :-
 - (a) Sanitary Laws and Regulations.
 - (b) Appointments, qualifications and duties of health officials and welfare workers.
 - (c) Public Health Laboratories.
 - (d) Vaccine Institute.
5. Adulteration of food and drugs.
(Excluding the subjects of Adulteration in drugs and drugs standard so far as concerned with the Ayurveda, Siddha, Unani and other Medicines).
6. Communicable and contagious diseases and zoonotic diseases.
7. Prevention of Epidemics.
8. National Vaccination Programme.
9. Family Welfare Programme, Reproductive Maternal Child and Adolescent Health.
10. National Vector Borne Disease Control Programme.
11. National Filaria Control Programme.
12. National Leprosy Control Programme.
13. National Blindness Control Programme.
14. Pharmaceutical Profession and Pharmaceutical Education.

15. Drugs Standards.
16. National Tuberculosis Elimination Programme.
17. Prevention of Sexually Transmitted Diseases.
18. Diarrhea Disease Control Programme.
19. National Iodine Deficiency Disorder Control Programme.
20. All National Programs under National Health Mission.
21. National Aids Control Programme.
22. Ayushman Bharat Niramayam Yojna.
23. Midwifery Services.
24. National Programme for Prevention and Control of Diabetes, Heart Disease and Stroke.
25. Prohibition of advertisement and Regulation of trade and commerce, production, supply and distribution of cigarettes and other tobacco product.
26. Medical Profession and Medical Education.
27. Nursing Profession and Nursing Education and Nursing Training.
28. Dental Profession and Dental Education.
29. Matters related to Medical Reimbursement and Treatment of government employees/dependents within and outside the state.
30. Centers for Hospitalization, Treatment and Management for patients with severely mental health disorders (Rehabilitation centers).
31. All matters relating to the services with which are connected with the Department (other than matters allotted to the Finance Department and the General Administration Department), e.g. appointments, postings, transfers, pay, leave, pensions, promotions, provident fund, deputation, punishments and representation.
32. (i) Prosecution, Sanction under section-19 of the Prevention of Corruption act 1988 (49 of 1988).
(ii) Prosecution, Sanction against public servants under Section-197 of Code of Criminal Procedure 1973 (2 of 1974) and Special /Other Acts.

(B) Acts and Rules administered by the Department :-

1. Madhya Pradesh Chikitsa Shiksha Sanstha (Niyantaran) Adhiniyam, 1973 (No. 19 of 1973).
2. Madhya Pradesh Autonomous Medical and Dental College Academic Model Service Rules 2018.
3. Madhya Pradesh Autonomous Medical College Medical Service Model Rules 2018.
4. Madhya Pradesh Superspeciality Hospital Medical Teachers Model Rules 2018.
5. Madhya Pradesh Autonomous Medical College Non-Academic Model Rules 2018.
6. Madhya Pradesh Medical Education (Gazetted) Service Recruitment Rules, 2023 and Non-Gazetted Service Recruitment and Promotion Rules, 2023.
7. Madhya Pradesh Medical Education Admission Rules 2018.
8. Pharmacy Act 1948 (8 of 1948).
9. Food Safety and Standards Act 2006 (34 of 2006).
10. Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940).
11. The Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 (34 of 2003).
12. Madhya Pradesh Civil Services (Medical Attendance) Rules 1958.
13. Madhya Pradesh Ayurvedigyan Parishad Adhiniyam, 1987 (11 of 1990).
14. Madhya Pradesh Medical and Medical Establishments (Registration and Licensing) Rules 1997.
15. Poison Act 1919 (12 of 1919).
16. Public Health and Family Welfare (Gazetted) Service Recruitment Rules 2022, and Non-Gazetted Service Recruitment and Promotion Ministerial Service Rules 1989.

17. Pre-conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act 1994(57 of 1994).
18. Medical Termination of Pregnancy Act 1971 (34 of 1971) as amended 2021.
19. Epidemic Diseases Act 1897 (3 of 1897).
20. Rights of Persons with Disabilities Madhya Pradesh Rules 2017.
21. Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act 2015 (2 of 2016) .
22. Madhya Pradesh Public Health Act 1949 (36 of 1949).
23. Protection of Children from Sexual Offences Act 2012 (32 of 2012).
24. Surrogacy (Regulation) Act, 2021 (47 of 2021) and Assisted Reproductive Technology (Regulation) Act, 2021(42 of 2021).
25. National Commission for Allied Healthcare Professions Act, 2021(14 of 2021).

(C) Directorate and offices connected with the Department:

1. Directorate of Public Health and Family Welfare.
2. Directorate of Medical Education.
3. Controller, Food and Drug Administration.
4. National Health Mission.
5. State Health Authority.
6. University of Medical Sciences, M.P.
7. All government/autonomous medical colleges and affiliated hospitals.
8. Autonomous Dental Colleges.
9. Institute of Mental Health.
10. Nursing Colleges.
11. All Para-Medical colleges under Medical Education.
12. Regional Institute of Ophthalmology.

(D) Boards and Corporations established under Acts:

1. Madhya Pradesh Public Health Services Corporation Limited.

(E) Other Institution and Bodies not concerned with the above (D):

1. Pharmacy Council.
2. Madhya Pradesh State Dental Council.
3. Madhya Pradesh State AIDS Control Society.
4. Madhya Pradesh Council of Medical Sciences.
5. Institute of Health Management, Gwalior.
6. Madhya Pradesh Nurses Registration Council, Bhopal.
7. Madhya Pradesh Para-medical council.
8. State Blood Transfusion Council.
9. State Health Information Education Communication Bureau.
10. Madhya Pradesh Tissue and Human Organ Transplant Committee.
11. Dindayal Health Protection Council.
12. State Mental Health Authority.
13. State Supervisory Board Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (PCPNDT).
14. State Supervisory Board, Anti-retroviral Therapy and Surrogacy.

(F) Name of service and special service matters, if any, coming under the Department:

1. Madhya Pradesh Health and Family Welfare (Gazetted Services).
2. Madhya Pradesh Class-3 (Non-Gazetted) Ministerial and Non-Ministerial Health Services.
3. Madhya Pradesh Medical Education Service.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RANJANA PATNE, Dy. Secy.